न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी:— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 103/2007
सी.सी.एन.एस. : 2007/00031

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी थान्देवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

—प्रार्थी

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र मघर सिंह जाति जटसिख निवासी थान्देवाला तहसील रायसिंहनगर हाल उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
3. गुरदेव कौर पत्नी गुरचरण सिंह जटसिख साकिन थान्देवाला

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:—
1. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री बलदेव सिंह, गुरप्रताप सिंह, वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :—

दिनांक : 03.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी का पिता हैं। पक्षकारान के पूर्वत शरी सम्पतियां व पेट्रोल पम्प के अलावा चक 3 एफएफबी, 8 एफएफबी व 4 एफएफबी में कृषि भूमि व पंजाब में भी कृषि भूमि धारण करते थे। जो पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती हैं। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा व हक जन्म से ही निहित निश्चित हैं। प्रार्थी के दादा मघरसिंह के देहान्त पश्चात अप्रार्थी सं. 1 को चक 4 एफएफबी के खाता सं. 17/18 में प.नं. 233/247 मु.नं. 62 के 3.100है. नहरी खाता सं. 18/19 में प.नं. 229/242 मु.नं. 25 में 4.834है. नहरी में से 1/2 हिस्सा, खाता सं. 33/31 में प.न. 231/241 मु.नं. 22 के 0.506है. व प.नं. 230/241 मु.नं. 23 के 1.265है. व प.नं. 230/242 मु.नं. 27 के 7.971है. नहरी इस खाता में से 4.048है. नहरी में से 1/2 हिस्सा चक 8 एफएफबी के मु.नं. 235/249 (52) में 6.074है. व प.नं. 235/250 मु.नं. 53 में 3.098है. नहरी कुल 9.162है. नहरी में से 3.054है. नहरी व चक 3 एफएफबी के खाता सं. 67/66 प.नं. 229/234 मु.नं. 35 के 1.518है. नहरी में से 1.012है. नहरी का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि एवं अन्य शहरी सम्पत्तियां व पट्रोल पम्प व पंजाब स्थित कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई जो समस्त सम्पति पैतृक सम्पति हैं जिसमें से प्रार्थी का जन्म से ही अप्रार्थी गुरचरण सिंह के साथ 1/2 हिस्सा निश्चित हैं। जिसे स्वीकार करते हुये पक्षकारान के बीच पैतृक सम्पति का आपस में बाहनी तौर पर बंटवारा आपसी रजामंदी व सहमति से पक्षकारान के बीच हुआ। जिसके अनुसार अप्रार्थी गुरचरण ने शहरी सम्पतियां व पट्रोल पम्प व पंजाब स्थित कृषि भूमि को अपने पास रखा और विवादित भूमि प्रार्थी को दी। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। राजस्व रिकार्ड में भी विवादित रकबा प्रार्थी के नाम से दर्ज डिक्री अनुसार हो चुका हैं। वाद लाने से पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1से राजस्व रिकार्ड में विवादित रकबा प्रार्थी के नाम से करवाने के लिए आवश्यक सहयोग देने के लिए लगातार कहता रहा मगर अप्रार्थी आश्वासन देता रहा। परन्तु अप्रार्थी ने शहरी सम्पतियों व पट्रोल पम्प को विक्रय करना प्रारंभ कर दिया तो प्रार्थी को उसकी नियत पर शक हुआ। एवं दिनांक 24.07.2005 को बमुकाम थानदेवाला में इंकार हो गया और स्पष्ट धमकी दी कि कागजों में विवादित रकबा उसके नाम से है इसलिये वह प्रार्थी को विवादित रकबा से बेदखल कर देगा। और विवादित रकबा किसी अन्य को विक्रय कर देगा। अगर अप्रार्थी अपने उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो उससे अप्रार्थी सं.1 के बजाय प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। माननीय न्यायालय [illegible] वाद को प्रार्थी के पक्ष में साबित मानते हुये दिनांक 16.03.2007 को डिक्री फरमाया [illegible] अप्रार्थी ने भी कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे तथ्य [illegible] का बनता हैं। और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष [illegible] अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा कि विवादित रकबा पर [illegible] रिकार्ड की यथास्थिति रखें, प्रार्थी को विवादित रकबा से बेदखल करने एवं किसी भी प्र[illegible] से किसी अन्य को हस्ता[illegible] करने से बाज व ममनु रहें, पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 को प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गया। अप्रार्थी स. 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नही है। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केवल पिता पुत्र के पक्षकार होने का तथ्य गलत हैं। पक्षकारान के पूर्वज कहां कहां सम्पति धारण करते थे और कौनसी सम्पति जायदादा जदी की परिभाषा में आती हैं का कोई विवरण नही दिया गया हैं। मात्र 8 एफएफ बी की भूमि अप्रार्थी को पिता से मिली थी। जिसमें प्रार्थी का 1/2 भाग नही हैं। बल्कि कानूनन 1/4 भाग बनता हैं। अप्रार्थी के एक पत्नी व दो पुत्रियां भी है। जिनको जानबूझकर पक्षकार नही बनाया हैं। वादग्रस्त सम्पदा को बंटवारा नही हुआ हैं। भू भाग पर किसी भी प्रकार से प्रार्थी का कब्जा बतौर खातेदार या किसी अन्य प्रकार से नही हैं। वादी का वाद ना तो प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं और ना ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में हैं। वाद पत्र में विभिन्न सम्पतियों को सम्मिलित करते हुए वाद पेश किया गया हैं। जो कि केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णित किए जाने योग्य होने के कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य हैं। पक्षकारान के कुसंयोजन व असंयोजन के दोष के कारण खारिज योग्य हैं। प्रार्थी का वाद ग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा नहीं रहा। चक 8 एफएफ बी की भूमि को छोड़कर समस्त सम्पति प्रतिवादी की स्वयं अर्जित भूमि व सम्पति हैं। जिसमें प्रार्थी किसी प्रकार का अप्रार्थी के जीवनकाल में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती हैं। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हैं पूर्व में वाद न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध मानते हुए डिक्री किया जा चुका हैं। अप्रार्थी भूमि को रहन बैय कर प्रार्थी को उसके अधिकारो से वंचित करना चाहता हैं। यदि अप्रार्थी इसमें कामयाब हो जाता हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि केवल 8 एफएफ बी की भूमि ही अप्रार्थी की पैतृक भूमि हैं, शेष भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि हैं जिसमें से प्रार्थी उसके जीवनकाल में किसी प्रकार से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा सहकाश्तकारों एवं अप्रार्थी की पत्नी एवं दो पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया हैं, अतः प्रार्थना पत्र में पक्षकारों के कुसंयोजन एवं असंयोजन का दोष हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पैतृक भूमि में से अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का वाद पेश किया हैं। अप्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से एतराज किया कि भूमि उनकी पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित हैं। इसका निर्णय मूल वाद में विवाद्यक पर साक्ष्य आदि के आधार पर किया जाना हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। यदि निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो विवादित भूमि रहन बैय आदि होने से मुकदमेबाजी बढेगी जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 212 राज. काश्त. अधि. स्वीकार किया जाता हैं, तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2007 को मूल वाद निर्णय तक स्थाई किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.31 12:40:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner